

स्माइल योजना

प्रलिस के लयः

केंद्रीय कषेत्रक योजना, राष्ट्रीय सामाजक रक्षा संस्थान, राष्ट्रीय पछिडा वर्ग वतित एवं वकिस नगिम

मेन्स के लयः

भखारयिों के लयः स्माइल योजना और उनकी आजीवकिका बढ़ाने में इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का लखित उत्तर देते हुए यह सूचित कया कि मंत्रालय द्वारा **स्माइल-आजीवकिका और उद्यम के लयः सीमांत वयक्तयिों हेतु समर्थन** (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) नामक योजना तैयार की गई है।

- इसमें **केंद्रीय कषेत्रक** की 'भखारयिों के वयापक पुनर्वास के लयः योजना' नामक एक उपयोजना भी शामिल है।
- वर्तमान में यह पायलट प्रोजेक्ट 7 शहरों दल्लि, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना में चल रहा है।

प्रमुख बडि

• स्माइल योजना के बारे में:

- भखारयिों और ट्रांसजेंडरों के लयः मौजूदा योजनाओं के वलिय के बाद यह एक नई योजना है।
- यह योजना राज्य/संघ राज्य कषेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय नकियों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लयः भकषिवृत्त में लगे वयक्तयिों के लयः पुनर्वास सुनशिचति करती है।
 - मौजूदा आश्रय गृहों की अनुपलब्धता के मामले में कार्यानवयन एजेंसयिों द्वारा नए समर्पति आश्रय गृह स्थापति कयि जाएँगे।

• मुख्य केंद्र:

- इस योजना के केंद्र में बड़े पैमाने पर पुनर्वास, चकितिसा सुवधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनयिादी दस्तावेज, शकषिा, कौशल वकिस आदि हैं।
- अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 60,000 सबसे गरीब वयक्तयिों को गरमिपूरण जीवन जीने के लयः लाभान्वति कयि जाएगा।

• करयिान्वयन:

- इसे राज्य/संघ राज्य कषेत्र की सरकारों/स्थानीय शहरी नकियों, स्वैच्छक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), संस्थानों और अन्य के सहयोग से लागू कयि जाएगा।

• भखारयिों के वयापक पुनर्वास के लयः योजना:

- यह भकषिवृत्त में संग्लन वयक्तयिों के जीवनस्तर में सुधार के लयः एक वयापक योजना होगी।
- इस योजना को चुनदि शहरों में पायलट आधार पर लागू कयि गया है जहाँ भखारयिों की संख्या अधिक है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने भखारयिों के कौशल वकिस कार्यक्रमों हेतु राष्ट्रीय सामाजक रक्षा संस्थान (NISD) को 1 करोड़

रुपए और राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग वतित एवं वकिस नगिम (NBCFDC) को 70 लाख रुपए की राशजिारी की गई ।

• भारत में भकषिवृत्तकी स्थतिः

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में भखिरयिों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएँ) है और पछिली जनगणना के बाद से इस संख्या में वृद्धि हुई है ।
- पश्चिमि बंगाल इस सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लकषद्वीप में भखिरयिों की संख्या केवल दो है ।
- केंद्रशासति प्रदेशों में नई दलिली में सबसे अधिक 2,187 भखिारी थे, उसके बाद चंडीगढ़ में इनकी संख्या 121 थी ।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम 22,116 भखिरयिों के साथ सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मिज़ोरम 53 भखिरयिों के साथ नचिले स्थान पर है ।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय भकषिवृत्त रोकथाम अधिनियम के तहत वभिन्न राज्यों में भकषिवृत्तको अपराध की श्रेणी से हटाने के लयि एक याचकिा पर वचिर करने हेतु सहमत हुआ है ।

राष्ट्रीय पछिड़ा वर्ग वतित एवं वकिस नगिम (NBCFDC)

- NBCFDC सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का उपक्रम है ।
- इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 13 जनवरी, 1992 को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापति कयिा गया था ।
- इसका उद्देश्य पछिड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने हेतु आर्थकि एवं वकिसात्मक गतिविधियिों को बढ़ावा देना तथा कौशल वकिस व स्वरोजगार उपक्रमों में इन वर्गों के गरीबों की सहायता करना है ।

राष्ट्रीय समाज रकषा संस्थान (NISD)

- NISD एक स्वायत्त नकिय है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR), दलिली सरकार के साथ 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है ।
- यह सामाजकि न्याय और अधिकारति मंत्रालय का एक केंद्रीय सलाहकार नकिय है ।
- यह सामाजकि रकषा के क्षेत्र में नोडल प्रशकषण और अनुसंधान संस्थान है ।
- संस्थान वर्तमान में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, वरषिठ नागरकिों के कल्याण, भकषिवृत्त रोकथाम, ट्रांसजेंडर और अन्य सामाजकि रकषा संबंधी मुद्दों के क्षेत्र में मानव संसाधन वकिस पर केंद्रति है ।
- संस्थान का अधदिश प्रशकषण, अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से भारत सरकार के सामाजकि रकषा कार्यक्रमों हेतु जानकारी प्रदान करना है ।

स्रोत- पी.आई.बी

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/smile-scheme-1>